न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 99/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00179

1. बदरी पुत्र भोला निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।
(मृतक)

1/1 टीकाराम
1/2 ओमप्रकाश
1/3 बृजलाल
1/4 हुकमकेश
} पुत्रान स्व0 बदरी

1/5 मोटीबाई
1/6 सन्तरा
1/7 ऐरती
} पुत्रीयान स्व0 बदरी

1/8 रामनिवासी पत्नि बदरी

} समस्त जातियान मीना निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

अपी0

बनाम

1. जयनाराण पुत्र कोरया
2. रेवडया पुत्र कोरया
3. भवानी पुत्र रामसिंह

} समस्त जातियान मीना निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली राज0।

4. उपजिला कलेक्टर सपोटरा जिला करौली राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सपोटरा मु0न0 43/17 निर्णय दिनांक 26.04.2018 व डिग्री दिनांक 24.08.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री विष्णु चंद बंसल
2. रेस्पो0 की ओर से श्री भरत सिंह

निर्णय दिनांक 29.11.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 43/17 निर्णय दिनांक 26.04.2018 व डिग्री दिनांक 24.08.2018 उनवान बदरी बनाम जयनारायण वगै0 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपी0 ने वादपत्र 188 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि वादी/अपी0 के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 25 रकबा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली में स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण/रेस्पों. का किसी प्रकार से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खसरा की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की दावे के साथ पेश कि गई है। वादी/अपी0 के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं. 25 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा में वादी/अपी0 ने तिलहन की फसल बुआई की थी और जो करीब 6–7 इंच की फसल खेत में हो रही थी। दिनांक 04.07.2017 को सांय 6 बजे प्रतिवादीगण/रेस्पों. अपने साथ अपने परिवार को साथ लेकर आये और साथ ही ट्रेक्टर लेकर आये और वादी/अपी0 की फसल को ताकत के बल पर ट्रेक्टर से नष्ट कर दिया और हल चलाकर खेत को बर्बाद कर दिया। प्रतिवादीगण/रेस्पों. ताकतवर व्यक्ति है और लट्ठ वाले है। वादी/अपी0 वृद्ध है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी/रेस्पों. ने वादी/अपी0 की फसल को बर्बाद कर दिया और ऐलानियां धमकी दी कि हंम अब आगे जमीन पर कब्जा करके रहेंगे और अनाधिकार रूप से जमीन को हम काश्त करेंगे। प्रतिवादीगण/रेस्पों. की इस हरकत से वादी/अपी0 को भारी नुकसान हुआ है एवं अपूर्णीय क्षति हुई है और वादी/अपी0 को असुविधा हुई है। इसलिए प्रतिवादीगण/रेस्पों. के विरूद्व दावा पेश करना जरूरी हो गया है। इसलिये प्रतिवादीगण/रेस्पों. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादी/अपी0 मुश्तहक हो गया है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादपत्र वादी/अपी0 विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पों. डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पों. को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादी/अपी0 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 25 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा की भूमि में किसी भी प्रकार से मदाख्लत मजाहमत पैदा नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। अतः दावा विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पों. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण/रेस्पों. को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी/अपी0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 25 रकबा 03 बीघा 14 विस्वा भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपी0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपी0 का दावा खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से मिसिल तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय दिनांक 24.08.2018 व डिक्री दिनांक 24.08.2018 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्व है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अपी0 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 25 रकबा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला करौली में स्थित है। जिसमें रेस्पों. का कोई किसी प्रकार का ताल्लुक वास्ता नहीं है। उक्त विवादित आराजी पर अपी0 का पैतृक कब्जा चला आ रहा है अर्थात अपी0 उक्त आराजीयात पर बेहेसियत आज भी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पों. जबरन लट्ठ के जोर से रेवेन्यू अधिकारी से मिलकर कब्जा करना चाहते है। अपी0 का दावा आर्डर 7 रूल 11 अदालत मातहत ने गलत रूप से खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 की फर्जी राजीनामा दरख्यास्त बताकर गलत रूप से खारिज किया है। अपी0 की उपस्थिति नहीं होने पर दर0 पेश करने से आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. लागू नहीं होती है क्योंकि कोई दर0 पेश की जावें तो अपी0 या वकील द्वारा ही पेश होनी चाहिये और न्यायालय आदेश होने पर ही दर0 आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. पेश की जा सकती है। अदालत मातहत ने अपी0 के जबाव प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 पर गौर नहीं कर भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपी0 द्वारा उक्त विवादित भूमि बावत् दिनांक 05.01.1994 को अधिनस्थ न्यायालय में दावा दायर किया जा चुका है। वह दावा नोट प्रेस में खारिज हो चुका है। उसी समय अपी0 ने 5/– रूपये के स्टाम्प पर वकलम रामजीलाल अग्रवाल सपोटरा द्वारा स्वयं बद्री ने अपने हस्ताक्षर करके गवाही गवाहान करके इस आशय की तहरीर लिखी कि आराजी ख.नं. 25 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम नारौली तहसील सपोटरा जिला करौली पर मेरा कब्जा नहीं है। मेरे नाम इन्द्राज खातेदारी गलत दर्ज है। मेरा इस भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। मेरे नाम उक्त भूमि गलत लग गई है। इस भूमि पर कब्जा काश्त मेरा नहीं है, कोर्या का है जो कि रेस्पों. सं. 1 व 2 के पिता रहे हैं व रेस्पों. सं. 3 भवानी के दादा रहे है। इस प्रकार विला कब्जा दावा वादी नाकाविल पेश रफ्त है। स्वंय अपी0 ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरा भूमि मुतदाविया पर कब्जा नहीं है। दावा वादी वार्डवाई लॉ होने के कारण संचलित योग्य नहीं है। अपी0 को कोई वाद कारण विरूद्व मिन जबावदारान रेस्पों. पैदा नहीं हुआ। विला कॉज ऑफ एक्शन होने के कारण अपी0 खारिज फरमाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2071–74 वाके ग्राम नारौली तहसील सपोटरा के खतौनी सं. 275 पर खसरा नं. 25 बदरी पुत्र भौला मीना साकिन देह दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018 में प्रार्थना पत्र 07 रूल 11 प्रस्तुत दिनांक 20.09.2017 को स्वीकार किया गया है। इसका आधार पूर्व में प्रस्तुत वाद को खजीनामा के आधार पर वापस लेना बताया है। पत्रावली में दिनांक 09.02.1994 की तहरीर उपलब्ध है जिसमें सैटलमेंट से खाता अपी0 के नाम बनना बताया है। वाद के बिन्दुओं का निर्धारण साक्ष्य व सुनवायी के आधार पर गुणावगुण पर किया जाना उचित है। इसलिए प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मु0नं0 43/2017, निर्णय दिनांक 26.04.2018 व डिक्री दिनांक 24.08.2018 को अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा के यहां दिनांक 28.12.2021 को उपस्थित होवे।

7. निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.11.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner